

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग खण्ड बरेली।

पत्रांक 1007 / ल०सि० / डी०मैन / डीजल पम्पसेट कय / 07-08 दिनांक 2.1.2008

पम्पसेट डीलर का चयन एवं पंजीकरण हेतु सूचना

समस्त विद्युत/डीजल पम्पसेट के निर्माण जिन्हें आई०एस०आई० लाइसेंस प्राप्त है के अधिकृत विक्रेताओं को सूचित किया जाता है कि शासनादेश संख्या 4045/62-2-2004 दि० 13.10.2004 में निहित प्राविधान के अनुसार खण्ड बरेली के जनपद बरेली/बदायूं में सामान्य जाति एवं अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु/सीमान्त कृषकों को सहायता योजनान्तर्गत नि०बो० योजना में नगद पम्पसेट कय में निर्धारित प्रक्रिया के अधीन अनुदान की सुविधा अनुमन्य कराये जाने हेतु निम्न प्रक्रिया पूर्ण होने पर अधिकृत विक्रेताओं के पंजीकरण अधोहस्ताक्षरी द्वारा खण्डीय कार्यालय बरेली में किया जाना है। जो पात्र अधिकृत विक्रेता पंजीकरण कराने जाने के इच्छुक हों वे वित्तीय वर्ष 2007.08 हेतु इस कार्यालय में सम्पर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं।

१- विद्युत / डीजल पम्पसेट के निर्माण जिन्हें आई०एस०आई० लाइसेंस प्राप्त हैं एवं कब तक की वैधता है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। जिसकी पुष्टि पर ही पंजीकरण किया जायेगा। आई०एस०आई० लाइसेंस की वैधता अबधि बढ़ाये जाने पर तदनुसार पंजीकरण की अबधि बढ़ायी जा सकती है।

२- पंजीकरण हेतु निर्माण फर्मों के अधिकृत डीलरों को जमानत के रूप में 25000.00 की जमानत राशि जो कि राष्ट्रीय बचत पत्र/राष्ट्रीयकृत बैंक की सावधि जमा हो। जो कि अधिशासी अभियन्ता लघु सिंचाई बरेली के पदनाम से बन्धक हो जमा करना अनिवार्य होगा।

३- पंजीकृत विक्रेताओं से कृषक अपनी इच्छानुसार व साइट की परिस्थिति के अनुसार आवश्यक के आई०एस०आई०मार्क विद्युत / डीजल पम्पसेट कय करने के लिए स्वतंत्र होंगे परन्तु विद्युत पम्पसेट 3 अश्वशक्ति से कम तथा डीजल पम्पसेट 5 अश्वशक्ति से कम और 10 अश्वशक्ति से अधिक विद्युत / डीजल पम्पसेट कय नहीं करेगा।

अन्य आवश्यक शर्तें आदि कार्यालय में कार्यदिवस में देखी जा सकती है।

(जी० आर० सिंह)
अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड
बरेली।

पत्रांक व दिनांक सक्त।

प्रतिलिपि-निम्नोक्तियों की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।

१-सहायक अभियन्ता लघु सिंचाई बरेली/बदायूं।

२-समस्त खण्ड विकास अधिकारी बरेली/बदायूं

३-मुख्य विकास अधिकारी बरेली/बदायूं।

४-जिलाधिकारी बरेली/बदायूं।

५-अधीक्षण अभियन्ता लघु सिंचाई वृत्त बरेली।

६-मुख्य अभियन्ता लघु सिंचाई विभाग उ०प्र० लखनऊ।

७-जिला नोडल अधिकारी सहायक सूचना निदेशक सूचना विभाग बरेली।

८-कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चरपा हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
लघु सिंचाई खण्ड
बरेली।